

27 ⁵/₁₆

पत्रावली लोक अदालत/कैम्प कोर्ट में पेश हुई।
पक्षकारान्..... सुधा

नहीं होने के कारण प्रकरण नहीं हो सका। अतः
पत्रावली दिनांक 2/8/16 को न्यायालय हाजा में पेश हो

उपखण्ड अधिकारी
कटूमर (अलवर)

18/11/17

उपस्थित
साबिक आदेश दिनांक..... 18/11/13
की पालना में पत्रावली वास्ते..... 10/5/17
दिनांक..... 10/5/17 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
कटूमर (अलवर)

10/5/17

उपस्थित
साबिक आदेश दिनांक..... 18/11/13
की पालना में पत्रावली वास्ते..... 10/5/17
दिनांक..... 30/8/17 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
कटूमर (अलवर)

प्रकरण राज्य सरकार के आदेशानुसार आदेशित लोक
अदालत/कैम्प कोर्ट में रखने में व्यवस्था जाता है। अतः पत्रावली
लोक अदालत में पेशावत न्यायालय.....
पर दिनांक..... को पेश हो।

30/8/17

वादी व उनके वकील उपस्थित नहीं
कई बार आवाज दिखवाई गई मगर
वादी की ओर से कोई उपाहार नहीं
आया। अतः अंत में वादी वादी की अडलत
हाजरी। पत्रावली में जोर दे दिया गया
है कि पत्रावली फौजदारी शुभानुसार ही
कराए जायें।

उपखण्ड अधिकारी
कटूमर (अलवर)

10/5/17